

1. प्रकरण संख्या 103/2024 भंवरसिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य
2. प्रकरण संख्या 16/2025 भंवर सिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाघपुरा, पटवार क्षेत्र बाघपुरा, तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.26, 1905 रकबा 0.41, 1907 रकबा 0.26, 1908 रकबा 0.17, 1909 रकबा 0.21, 1915 रकबा 0.03, 1916 रकबा 0.10, 1917 रकबा 0.13 किता 08 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त स्वामित्व खातेदारी होकर अपने-अपने हिस्से पर काबिज हो कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का विधिक विभाजन मीट्स एण्ड बाउंडस के आधार पर किया जावे।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 26.06.2024 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 3 से 7 द्वारा प्रथम अपील संख्या 103/2024 दिनांक 23.09.2024 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2024 के विरुद्ध द्वितीय अपील संख्या 16/2025 दिनांक</p>	



1. प्रकरण संख्या 103/2024 भंवरसिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य
2. प्रकरण संख्या 16/2025 भंवर सिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य

03.02.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

उक्त दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता नरेश जणवा उपस्थित हुए। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त को प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी दिनांक 21.08.2024 को नकल प्राप्त करने पर हुई तथा अंतिम डिक्री जानकारी दिनांक 20.01.2025 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर अपीलें अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्त को सम्मन तामील हुए थे तथा बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्त भंवरसिंह की उपस्थित में तैयार किया गया था, ऐसी स्थिति में अपीलान्त का यह कथन कि उन्हें प्रथम बार जानकारी दिनांक 20.01.2025 को हुई, विश्वसनीय नहीं है। अपीलान्त ने झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं, जो बेरुन मयाद होने से दोनों अपीलें इसी स्तर पर खारिज की जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों अपीलें प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. प्रकरण संख्या 103/2024 भंवरसिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य
2. प्रकरण संख्या 16/2025 भंवर सिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 हिम्मत पिछले 10 वर्षों से लापता है। इसलिए उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही का आदेश फरमावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई कार्यवाही किये बिना प्रकरण में डिक्री जारी कर दी। प्रकरण अपीलान्त की तामील में चल रहा था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तामील कराये मनमकसूद तरीके से बिना अपीलान्त को सुने एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी। वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा संशोधित दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके जवाब का अवसर अपीलान्तगण को नहीं दिया गया है तथा मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुये बताया कि मौका पर्चा बनाते वक्त अपीलान्त भंवरसिंह उपस्थित था, किन्तु उसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। अपीलान्तगण पर प्रोपर नोटिस तामील हुये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 हिम्मत 7 वर्षों से अधिक समय से लापता होने उसकी सिविल डेथ मानी जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। एक भाई हिम्मत 10 वर्षों से लापता होना बताया है, उसका शेयर किसे मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार के सूचना पत्र में प्रतिवादी संख्या 5, 6, 9 व 11 को उदयपुर शहर में निवास करना बताया है, ऐसी स्थिति में उनकी तामील नहीं मानी जा सकती। जबकि विभाजन नियम 18 से 21 अनुसार सभी सहखातेदारी की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना होता है, जबकि कई प्रतिवादीगण की तामील ही नहीं हुई है तो उनकी उपस्थिति किस आधार पर मानी जायेगी। मात्र वादी तथा एक सहखातेदार की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की

1. प्रकरण संख्या 103/2024 भंवरसिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य
2. प्रकरण संख्या 16/2025 भंवर सिंह व अन्य बनाम विष्णु व अन्य

गयी है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2016 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.06.2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार की कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर